दिनांक 12.01.2021 को जमरानी बांध परियोजना के पुनर्वास कार्यों हेतु गठित समन्वय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 12.01.2021 को उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1943(1)/II(2)/2020-17 (06)/2015, दिनांक 23.10.2020 द्वारा गठित समन्वय समिति की बैठक आयुक्त, कुमाऊं मण्डल की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

(1) श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, आयुक्त कुमाऊं मण्डल अध्यक्ष।
(2) श्री सविन बंसल, जिलाधिकारी नैनीताल सदस्य सचिव।
(3) श्रीमती रंजना राजगुरू, जिलाधिकारी उधमसिंह नगर ।
(4) श्री संजय शुक्ल, अधीक्षण अभियन्ता परियोजना मण्डल जमरानी हल्द्वानी।
(5) श्री प्रशान्त बिश्नोई, महाप्रबन्धक पी0आई0यू0 जमरानी बांध परियोजना हल्द्वानी।
(6) श्री [illegible], अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व नैनीताल।
(7) श्री नारायण सिंह नबियाल, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी नैनीताल।
(8) श्री योगेश मिश्रा, जिला सूचना अधिकारी नैनीताल ।
(9) श्री वी0के0 पाण्डे, अधिशासी अभियन्ता (पुनर्वास) जमरानी बांध निर्माण खण्ड-2 हल्द्वानी।

2. बैठक में जमरानी बांध परियोजना एव पुनर्वास सम्बन्धी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए सम्यक निर्णय लिये गये जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:–

(1) जमरानी बांध परियोजना के 415 प्रभावित निवासरत परिवारों में से 157 परिवारों जो खातेदार हैं, के खाता खतौनी विवरण भूमि प्रकार व क्षेत्रफल का विवरण एवं 258 परिवार जिनके नाम कोई भूमि दर्ज नहीं है, के सम्बन्ध में विस्तृत सर्वेक्षण कर उक्त परिवारों के सम्बन्ध में राजस्व ग्रामवार परिवारों के व्यवसाय/आजीविका का साधन एवं RFCTLARR Act 2013 के अनुसार अनुमन्य लाभों का विवरण तैयार किया जाय।

(कार्यवाही : पी0आई0यू0,ज0बा0प0हल्द्वानी)

(2) जमरानी बांध परियोजना के प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति बनाये जाने हेतु RFCTLARR Act 2013 लागू होने के उपरान्त प्रारम्भ की गई विभिन्न परियोजनाओं यथा सौंग बांध परियोजना, लखवाड़ व्यासी परियोजना, पंचेश्वर परियोजना आदि के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति का तुलनात्मक विवरण तैयार कर समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय ताकि उनके आलोक में जमरानी से सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार करने में सहायता प्राप्त हो।

(कार्यवाही : पी0आई0यू0,ज0बा0प0हल्द्वानी)

(3) जमरानी बांध परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के साथ पूर्व में हुए एम0ओ0यू0 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य को दी जाने वाली धनराशि ससमय प्राप्त किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाय।

(कार्यवाही : पी0आई0यू0,ज0बा0प0हल्द्वानी)

(4) जमरानी बांध परियोजना से प्रभावित खातेदारों व सम्बन्धित परिवारों की बांध डूब क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व क्षेत्र में अवस्थित कुल भूमि के विवरण की पात्रता निर्धारण हेतु आवश्यकता होगी। अतः इस सम्बन्ध में विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त विवरण तैयार किया जाय। सर्वेक्षण में 821 भू–खातेदारों की स्प्रेड शीट तैयार की जायेगी जिसमें Land Details. की Sorting, भूमि का क्षेत्रफल एवं प्रकार का विवरण दर्ज किया जायेगा।

(कार्यवाही :राजस्व विभाग)

(5) जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में जमरानी बांध परियोजना से प्रभावित हो रहे ग्राम गुरकुड़िया एवं उडवा में ग्रामवासियों के साथ परियोजना के सम्बन्ध में बैठकें हुई हैं। बांध से प्रभावित अन्य ग्रामों में बैठकें आयोजित किये जाने हेतु समयसारणी बनायी जानी है। ग्राम सभा की खुली बैठकों में ग्रामवासियों की ओर से समन्वय समिति के साथ वार्ता हेतु सदस्य नामित कराया जाय।

(कार्यवाही : राजस्व एवं पी0आई0यू0,ज0बा0प0)

(6) जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर द्वारा जमरानी बांध परियोजना के पुनर्वास कार्यों हेतु जनपद ऊधमसिंह नगर के तहसील खटीमा व बाजपुर में चिन्हित भूमि के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त भूमियों के सम्बन्ध में मा० उच्चतम न्यायालय में वाद दायर किया गया है उक्त दोनों वादों में एस०एल०पी० योजित करा दी गई है। अतः स्थिर हुआ कि प्रश्नगत भूमि लम्बित विवाद के दृष्टिगत पुनर्वास हेतु उचित नहीं होगी।

(7) अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना मण्डल जमरानी द्वारा परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु विभिन्न स्थानों पर चिन्हित भूमि एवं उनकी अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र. सं.	जनपद	तहसील	कुल उपलब्ध भूमि	अद्यतन स्थिति
1	उधमसिंह नगर	बाजपुर	21.307 है० (52.65 एकड़)	जिलाधिकारी उधमसिंहनगर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में वाद दायर है एवं एस.एल.पी. योजित कराई गई है।
2		खटीमा	48.611 है० (120.7 एकड़)	–तदैव–
3		सितारगंज	115.241 है0 (284.85 एकड़)	जेल विभाग की उक्त भूमि में पी.आई.एल संख्या 27/2016 में पारित निर्णय दिनांक 10.01.2017 के अनुसार उक्त भूमि जन उपयोग के कार्यों यथा अस्पताल, स्कूल प्रयोजनों हेतु ही आवंटित की जानी है।
4	चम्पावत	पूर्णागिरी	135.45 है0 (338.625 एकड़)	उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के मुख्य सचिव स्तरीय संयुक्त बैठक दिनांक 17.08.2019 में लिये गये निर्णय के अनुरूप उक्त भूमि के उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण के औपचारिक आदेश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक माह में निर्गत किये जाने का निर्णय हुआ। कार्यवाही वर्तमान तक लम्बित है।

तालिका के क्रमांक 4 के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उक्त भूमि सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित कराये जाने पर अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही :पी0आई0यू0,ज0बा0प0 हल्द्वानी)

3. अन्त में उपरोक्त सभी विवरणों के साथ अगली बैठक लगभग एक माह बाद पुनः आयोजित किये जाने के निर्णय सहित बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव,

समन्वय समिति
जमरानी बांध परियोजना

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल

पत्रांक:– 1075 / पी0आई0यू0 / बैठक / दिनांक:–12.01.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, सिंचाई एवं पेयजल, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
4. प्रबंध निदेशक यूपीडीसीसी/प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी उधमसिंह नगर।
6. महाप्रबन्धक, पी0आई0यू0 जमरानी बांध परियोजना हल्द्वानी।

सदस्य सचिव,

समन्वय समिति

जमरानी बांध परियोजना